पत्र संख्याः-3ए-2-वे0पु0-2/2014-**1945**

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

प्रेषक,

प्रभात शंकर,

अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),

वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांकः-**26/02/2014**

विषयः- **चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से वेतन निर्धारण हेतु संकल्प सं0 660, दिनांक 08/02/1999 के द्वारा सम्यक् प्रावधान किया गया । राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए मूल कोटि का वेतनमान रू0 2550-3200/- स्वीकृत किया गया ।

2. राज्यकर्मियों की माँग को दृष्टिपथ में रखते हुए संकल्प सं0 2150, दिनांक 29/04/2005 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए केन्द्र के अनुरूप एस 2 वेतनमान रू0 2610-3540/-, वेतनमान रू0 2650-4000/- को अक्षुण्ण रखते हुए, प्रथम वित्तीय उन्नयन के वेतनमान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी ।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं0 5961, दिनांक 17/08/2007 एवं संकल्प सं0 711, दिनांक 23/01/2008 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अपुनरीक्षित वेतनमान में रू0 1030/- तक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों का वेतन निर्धारण वेतनमान रू0 2610-3540/- में होगा । पुनः रू0 1030/- से उपर के प्रक्रम पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों का वेतन रू0 2650-4000/- के वेतनमान में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया ।

4. वित्त विभागीय संकल्प सं0 6680, दिनांक 19/04/2007 को निरस्त करते हुए संकल्प सं0 712, दिनांक 25/01/2008 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वैसे कर्मचारी जिनका वेतन पुनरीक्षण रू0 2610-3540/- अथवा रू0 2650-4000/- के वेतनमान में किया गया है उसे प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन माना जाएगा तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 24 वर्षों के बाद रू0 2750-4000/- के वेतनमान में अनुमान्य होगा ।

5. उपर्युक्त निर्णयों के संदर्भ में यह पाया जा रहा है कि चतुर्थवर्ग के कर्मियों के मामले में रू0 2610-3540/- को या तो मूल कोटि का वेतनमान मानकर या दिनांक 31/12/1995 के बाद की तिथियों में रू0 1030/- का वेतन प्रक्रम प्राप्त करनेवाले कर्मियों को यह वेतनमान अनुमान्य किया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के विपरीत है ।

6. अतएव अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प सं0 711, दिनांक 23/01/2008 एवं 712, दिनांक 25/01/2008 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत वेतन का निर्धारण नहीं किया जाय तथा त्रुटिपूर्ण रूप से किये गये वेतन निर्धारण को संशोधित करते हुए अधिक ली गयी राशि की वसूली एक किश्त में सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव,
वित्त विभाग, पटना ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-2/2014-**1945** पटना, दिनांकः-**26/02/2014**

प्रतिलिपिः-सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.2.14

(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव ।

<u>समाहरणालय, दरभंगा</u>

(स्थापना प्रशाखा)

ज्ञापांक– 529 **/स्था0, लहेरियासराय, दिनांक** 28 **वीं मार्च 2014 ।**

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, /सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, /अंचल अधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्यालय स्थित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्य कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से भेजने तथा जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.3.14

स्थापना उप समाहर्त्ता,
दरभंगा।

24.3.14
24/03/14